संख्या:64/2026/775/कृशिअ-67-1002(003)/1/2024

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या, कानपुर, मेरठ, बांदा।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग **लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2026**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान (एन0पी0एस0) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक-ए.एन.डी.यू.ए.टी.08/लेखा/बजट/2026-27/03, दिनांक 01.04.2026, वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक-सवप/2026/वि0नि0/548, दिनांक 01.02.2025, वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्र सं0/एफ.सी./2026/75, दिनांक 02.04.2025 एवं वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक-सीएसयूपी-16/बजट/2026-27, दिनांक 06.04.2026 का संदभ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित धनराशि रू0 2114.29 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ चौदह लाख उनतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों,

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
2. धनराशि कोषागार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जाएगी।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि नियोक्ता अंशदान एवं अभिदाता अंशदान को प्रत्येक माह के वेतन बीजक के साथ बीजक तैयार कराकर कार्मिकों के प्रान खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. स्वीकृत धनराशि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-सा-3-517/दस-2012/301(9)/ एस0ए0बी0/2011 दिनांक 21.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानानुसार व्यय की जाएगी।
6. स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को होगा। उक्त अनुदान को अंतिम रूप से समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय तथा महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के चालू वर्ष के लेखों पर आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाए।
10. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। उक्त अनुदान को अंतिम रूप से समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय, कृषि विश्वविद्यालय की चालू वर्ष के लेखों पर आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।
11. अनुदान के देयक जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त/शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
12. संबंधित कुलपति / वित्त् नियंत्रक/ महानिदेशक उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2071011170302 (उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2071011170302 उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5,74,57,000 (रुपये पाँच करोड़ चौहत्तर लाख सतावन हजार मात्र)
	कुल			**5,74,57,000** **(रुपये पाँच करोड़ चौहत्तर लाख सतावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170303 (उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
2	011	2071011170303 उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**3,50,00,000** **(रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170304 (उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

3	011	2071011170304 उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170306 (कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
4	011	2071011170306 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	6,25,00,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**6,25,00,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170307 (अम्बेडकर नगर में महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
5	011	2071011170307 अम्बेडकर नगर में महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर	20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			**15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170308 (कृषि विश्वविद्यालय बांदा के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
6	011	2071011170308 कृषि विश्वविद्यालय बांदा के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3,00,12,000 (रुपये तीन करोड़ बारह हजार मात्र)
	कुल			**3,00,12,000 (रुपये तीन करोड़ बारह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170309 (उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जपनद इटावा में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

	संख्या			
7	011	2071011170309 उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जपनद इटावा में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान	20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	24,64,000 (रुपये चौबीस लाख चौंसठ हजार मात्र)
	कुल			**24,64,000 (रुपये चौबीस लाख चौंसठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170310 (कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
8	011	2071011170310 कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
	कुल			**60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170312 (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
9	011	2071011170312 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2071011170313 (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर-खीरी के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
10	011	2071011170313 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर-खीरी के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान	20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	10,46,000 (रुपये दस लाख छियालीस हजार मात्र)
	कुल			**10,46,000 (रुपये दस लाख छियालीस हजार मात्र)**

महायोग	21,14,29,000 (रुपये इक्कीस करोड़ चौदह लाख उनतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज,
3. मण्डलायुक्त/कोषाधिकारी,कानपुर/अयोध्या/लखनऊ/मेरठ/ बांदा
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा
5. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उ0प्र0, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।